आवश्यक
नगरपालिका आम/उप चुनाव,
2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - न.नि. 50-29/2025 - 2301

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा (भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक - 28.5.25

विषय : नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 – प्रेक्षक की नियुक्ति के संबंध में।
प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 सम्पन्न कराये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है। नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त **नामांकन पत्रों की संवीक्षा, मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु भारत के संविधान के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त प्लेनरी शक्ति (Plenary Power) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 452 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।** उक्त सन्दर्भ में निर्वाचन प्रेक्षक की नियुक्ति हेतु **संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।**

2. प्रेक्षक के रूप में पदाधिकारी के पदस्थापन जिले एवं गृह जिला को छोड़कर अपने अधीन अन्य जिलों के वरीय पदाधिकारियों यथा - प्रमण्डलीय स्तरीय पदाधिकारी, जिला स्तर पर उप सचिव या वरीय तकनीकि पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा सकेगा। नियुक्त प्रेक्षक द्वारा मतदान एवं मतगणना कार्य तक का अनुश्रवण किया जाना है। प्रेक्षक अपने आगमन एवं प्रस्थान की सूचना विहित प्रपत्र में देंगे। मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया में परिलक्षित किसी गड़बड़ी को अविलम्ब जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयोग की दृष्टि में लायेंगे। **नामांकन पत्रों की संवीक्षा, मतदान एवं मतगणना समाप्त हो जाने के पश्चात दो दिनों के अन्दर प्रेक्षक अपना अन्तिम प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध करायेंगे।** आयोग के प्रासंगिक पत्र के साथ-साथ प्रेक्षकों द्वारा किये जाने वाले कार्य से संबंधित 'प्रेक्षकों की मार्गदर्शिका' आयोग के वेबसाईट http://sec.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध है, जिसे पत्र के साथ भी संलग्न किया गया है।

3. नियुक्त प्रेक्षक को उनके पद एवं वेतनमान के अनुरूप सरकार द्वारा अनुमान्य दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा। प्रेक्षक द्वारा अग्रिम की माँग किये जाने पर उन्हें संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ₹1000.00 (एक हजार) तक का अग्रिम दिया जा सकता है, जो उनके द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता विपत्र से

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

समायोजित/सामंजित किया जायेगा। प्रेक्षक को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान पंचायत उप निर्वाचन हेतु यात्रा भत्ता मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

4. अनुरोध है कि प्रेक्षकों की नियुक्ति कर उनका नाम, पदनाम एवं मोबाईल संख्या संबंधी सूचना आयोग को **दिनांक 02.06.2025 तक** निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाये।

अनुलग्नक : 'प्रेक्षक की मार्गदर्शिका'।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-29/2025 - 2301 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-29/2025 - 2301 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) **(नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों को आयोग के पत्रांक 3647 दिनांक 06.09.2022 (संलग्न) के आलोक में प्रेक्षकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराया जाय एवं उन्हें 'प्रेक्षक की मार्गदर्शिका' हस्तगत कराना सुनिश्चित की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-29/2025 - 2301 पटना, दिनांक - 28.5.25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

<u>आवश्यक</u>
<u>नगरपालिका आम चुनाव, 2022</u>

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न0नि0 50-188/2022 - 3647

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

पटना, दिनांक - 6.9.22

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 —प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से भारत के संविधान के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त प्लेनरी शक्तियों (plenary powers) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 452 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के लिए प्रेक्षक की नियुक्ति की गयी है।

2. प्रेक्षकों के आवास, परिवहन एवं सुरक्षा हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निम्न व्यवस्था की जायेगी :-

(1) प्रेक्षकों से प्राप्त पूर्व सूचनानुसार रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से ठहराव स्थल तक प्रेक्षक को ले जाने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु उपयुक्त वाहन की व्यवस्था की जाये। सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किराए पर उपयुक्त वाहन की व्यवस्था की जायेगी।

(2) प्रेक्षक की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी यदि जिला दंडाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के मत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपर्युक्त से अधिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो तदनुसार कार्रवाई हेतु वे स्वतंत्र होंगे।

(3) स्कोर्ट अथवा पायलट कार की व्यवस्था प्रेक्षकों के लिए आवश्यक नहीं होगी वशर्त्ते कि जिला दंडाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के मत में अन्यथा नहीं हो।

(4) प्रेक्षकों के साथ स्थानीय क्षेत्र/परिस्थितियों से भिज्ञ किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जायेगा तथा प्रेक्षक को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी, वाहन एवं उपर्युक्त पदाधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार आवंटित क्षेत्र में भ्रमण करें।

(5) आवश्यकतानुसार विडियोग्राफर।

(6) प्राथमिक चिकित्सा किट

(7) अगर प्रेक्षक मिनरल वाटर अथवा बोतलबन्द पानी की मांग करें तो उन्हे इसकी आपूर्ति की जायेगी।

(8) यथासंभव प्रेक्षकों को सरकारी/ अर्द्धसरकारी अतिथिगृहों में ठहराने की व्यवस्था की जायेगी।

(9) प्रेक्षक, उनके सुरक्षा गार्ड, ड्राईवर तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त मार्गदर्शक के लिए जिला प्रशासन द्वारा भोजनादि की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उन्हें अपने मूवमेंट में स्वतंत्रता रहे।

(10) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) जिले में प्रतिनियुक्त प्रेक्षकों को एक-एक फोल्डर उपलब्ध करायेंगे जिसमें संबंधित नगरपालिका का मानचित्र, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता सूची, स्थापित मतदान केन्द्रों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (आवंटित प्रतीक चिह्न सहित), जिले के वरीय/महत्वपूर्ण असैनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों की दूरभाष संख्या, निर्वाचन संचालन हेतु की गई व्यवस्था तथा मतगणना कार्यक्रम की तैयारी आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण रहेगा।

3. प्रेक्षको के दायित्वों एवं कृत्यों से संबंधित आयोग द्वारा तैयार की गयी मार्गदर्शिका की प्रति भी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। अनुरोध है कि प्रेक्षकों को अपने कर्तव्य निर्वहन में हर संभव सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

06/IX/22

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-188/2022 -3647 पटना, दिनांक - 6.9.22

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

06/IX/22

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-188/2022 - 3647 पटना, दिनांक - 6.9.22

प्रतिलिपि सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/IX/22

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-188/2022 - 3647 पटना, दिनांक - 6.9.22

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/IX/22

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-188/2022 - 3647 पटना, दिनांक - 6.9.22

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/IX/22

सचिव।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

सत्यमेव जयते

प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

प्रस्तावना

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में नगरनिकाय के 3 (तीन) पदों के निर्वाचन कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में प्रेक्षकों की अहम भूमिका है। प्रेक्षक के पर्यवेक्षण में हीं निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यो का निष्पादन किया जाता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–452 द्वारा प्रेक्षकों को निर्वाचन कार्य से संबंधित विभिन्न शक्तियाँ प्रदत्त हैं। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक मतदान तथा मतगणना संबंधी किसी परिस्थिति/घटित घटना/समस्याओं के संबंध में सीधे आयोग से पत्राचार कर दिशा–निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रतिनियुक्त सभी प्रेक्षकों से आशा की जाती है कि वे प्रेक्षक के रूप में अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन भयरहित, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी रूप से करेंगे। प्रेक्षकों की सुविधा हेतु यह मार्गदर्शिका इस आशय के साथ निर्गत की जाती है कि मार्गदर्शिका प्रेक्षकों को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायक सिद्ध होगी।

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
बिहार।

प्रेक्षकों के लिए मार्गदर्शिका

भूमिका – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित प्लेनरी शक्तियों (plenary powers) तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 452 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। प्रेक्षक अपनी नियुक्ति की तिथि से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 452 द्वारा प्रेक्षकों को नगरपालिका निर्वाचन के संचालन एवं मतों की गणना पर निगरानी रखने हेतु वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। उक्त धारा का अवतरण निम्नवत है –

"452 प्रेक्षक :-

(1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने और उन अन्य कार्यो को पूर्ण करने, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपा जाये, के लिए एक प्रेक्षक को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जो राज्य सरकार को पदाधिकारी होगा।

(2) उपधारा- (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रेक्षक के पास निर्वाचन क्षे. के लिए या निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी के लिए, जिसके लिए उसे नाम निर्दिष्ट किया गया हो, परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय तों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियम स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतप.ों या मतदान के लिए नियम स्थान पर, निर्वाची पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटना वश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिया गया हो या खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या छेड़-छाड़ की गयी हों कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

(3) जहाँ प्रेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस धारा के अधीन निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करे, वहाँ प्रेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों को विचारित करने के पश्चात् समुचित निर्देश जारी करेगा।

स्पष्टीकरण – उपधारा - (2) और उपधारा - (3) के प्रयोजनार्थ 'प्रेक्षक' में राज्य निर्वाचन आयोग का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्त्तव्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपा गया हो।''

प्रेक्षक के रूप में प्रशासनिक सेवा के अनुभवी पदाधिकारियों की नियुक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित पदाधिकारी अपनी वरीयता एवं दीर्घ अनुभव से राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे। प्रेक्षक अपनी अधिकारिता में पड़ने वाले क्षेत्र में निर्वाचन प्रबंध तंत्र, उम्मीदवारों एवं मतदाताओं के मध्य सुसंगत अधिनियम, नियमावलियों, निर्वाचन प्रणालियों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई एवं निष्पक्ष ढ़ंग से पालन हेतु अपने प्रेक्षकीय दायित्व का निर्वहन

करेंगे तथा उनके अनुपालन की स्थिति से आयोग को अवगत करायेंगे। आयोग का सीधा प्रतिनिधि होने के नाते प्रेक्षकों से प्रत्याशियों तथा मतदाताओं को भी काफी उम्मीदें रहती हैं। अतः प्रेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में आयोग एवं मतदाताओं तथा प्रत्याशियों के बीच एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली कड़ी का कार्य करेंगे।

ब्रीफिंग बैठक – आयोग द्वारा प्रेक्षकों के लिए नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पश्चात निर्धारित तिथि एवं स्थान पर एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें उन्हें ड्यूटी के संबंध में आयोग के निदेश उपलब्ध कराये जायेंगे। इस बैठक में प्रत्येक प्रेक्षक को भाग लेना अनिवार्य होगा।

ब्रीफिंग बैठक में प्रेक्षकों को उनका नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी प्रेक्षक को सुरक्षित सूची में रखा जाता है तो तत्संबंधी जानकारी उन्हें आयोग द्वारा दी जायेगी। प्रेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालय/ आवास अथवा आवासीय पते में किसी प्रकार की परिवर्त्तन की सूचना सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत देंगे।

प्रेक्षकों के लिए सामग्री – आयोग द्वारा प्रेक्षकों को ब्रीफिंग बैठक में एक पोर्टफोलियो बैग उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007, निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन संचालन से संबंधित निदेश, आदर्श आचार संहिता, पीठासीन पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका, प्रतीक आवंटन आदेश आदि पर आयोग द्वारा निर्गत निदेश, कोविड–19 के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश, आयोग के पदाधिकारियों के आवासीय/कार्यालयीय एवं आयोग में स्थापित नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या की सूची की प्रति रहेगी।

आयोग से पत्राचार का माध्यम – प्रेक्षक आयोग के सचिव से पत्राचार करेंगे तथा सम्पर्क में रहेंगे। किसी अत्यन्त गंभीर विषय में उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के संबंध में प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयुक्त से सीधे भी सम्पर्क कर सकेंगे।

नियंत्रण कक्ष – मतदान/ पुनर्मतदान की तिथियों को आयोग कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहता है। प्रेक्षक उक्त अवसर पर अपनी सूचनाओं को नियंत्रण कक्ष में प्रेषित करेंगे जिसे प्रभारी पदाधिकारी, नियंत्रण कक्ष द्वारा अभिलिखित किया जायेगा एवं इन सूचनाओं पर यथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

सुरक्षित सूची के प्रेक्षक – जिन प्रेक्षकों को किसी जिले में प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है, वैसे प्रेक्षक सुरक्षित सूची के प्रेक्षक होंगे तथा उन्हें अल्प अवधि की सूचना पर किसी जिले में भेजा जा सकता है। ऐसे प्रेक्षक किसी निजी अथवा सरकारी काम से अपने मुख्यालय का परित्याग आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेंगे।

विमुक्ति हेतु अनुरोध – आयोग द्वारा नियुक्त किसी प्रेक्षक द्वारा कर्त्तव्य से विमुक्ति का अनुरोध आयोग द्वारा विचारित नहीं होगा यदि वह संबंधित पदाधिकारी द्वारा आयोग को सीधे समर्पित किया गया हो।

अवकाश हेतु अनुरोध – प्रेक्षक अथवा प्रेक्षकों की सुरक्षित सूची के पदाधिकारी आयोग की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार के अवकाश में प्रस्थान नहीं कर सकेंगे जबतक कि निर्वाचन कार्य समाप्त नहीं हो जाए। अवकाश हेतु आवेदन पत्र सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को संबोधित किये जा सकेंगे।

भ्रमण कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार – प्रेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना भ्रमण कार्यक्रम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को यथेष्ट अग्रिम में उपलब्ध करायेंगे ताकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनके परिवहन, आवासन एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। प्रेक्षकों के भ्रमण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का दायित्व संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का होगा। यात्रा आरंभ करने के पूर्व प्रेक्षक

आश्वस्त हो लेंगे कि उनका भ्रमण कार्यक्रम एवं उनके ठहराव स्थल एवं दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्र में समाचार पत्र सहित अन्य प्रसार माध्यमों से कराया गया है।

प्रेक्षकों को सुविधा – प्रेक्षकों के आवास, परिवहन एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निम्न व्यवस्था की जायेगी :-

1. प्रेक्षकों से प्राप्त पूर्व सूचनानुसार रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड से ठहराव स्थल तक प्रेक्षक को ले जाने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु वातानुकूलित वाहन की व्यवस्था।
2. प्रेक्षक की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा कर्मी। यदि जिला दंडाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के मत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपर्युक्त से अधिक व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो तदनुसार कार्रवाई हेतु वे स्वतंत्र होंगे।
3. स्कोर्ट अथवा पायलट कार की व्यवस्था प्रेक्षकों के लिए आवश्यक नहीं होगी वशर्त्ते कि जिला दंडाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के मत में अन्यथा नहीं हो।
4. प्रेक्षकों के साथ स्थानीय क्षेत्र/ परिस्थितियों से भिज्ञ किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जायेगा तथा प्रेक्षक को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी, वाहन एवं उपर्युक्त पदाधिकारी के साथ अपनी इच्छानुसार आवंटित क्षेत्र में भ्रमण करें।
5. आवश्यकतानुसार विडियोग्राफर।
6. प्राथमिक चिकित्सा किट (कोविड-19 से संबंधित सामग्री यथा फेस मास्क, हैण्ड सेनिटाइजर, हैण्ड ग्लब्स, फेस शील्ड आदि भी उपलब्ध कराना है)
7. अगर प्रेक्षक मिनरल वाटर अथवा बोतलबन्द पानी की मांग करें तो उन्हे इसकी आपूर्त्ति की जायेगी।
8. यथासंभव प्रेक्षकों को सरकारी/ अर्द्धसरकारी अतिथिगृहों में ठहराने की व्यवस्था की जायेगी।
9. प्रेक्षक, उनके सुरक्षा गार्ड, ड्राईवर तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त मार्गदर्शक के लिए जिला प्रशासन द्वारा भोजनादि की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि उन्हें अपने मूवमेंट में स्वतंत्रता रहे।
10. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिले में प्रतिनियुक्त प्रेक्षक को एक फोल्डर उपलब्ध करायेंगे जिसमें जिले का मानचित्र, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता सूची, नगर निकाय में स्थापित मतदान केन्द्रों की सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (आवंटित प्रतीक चिह्न सहित), जिले के वरीय/महत्वपूर्ण असैनिक एवं आरक्षी पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या, निर्वाचन संचालन हेतु की गई व्यवस्था तथा मतगणना कार्यक्रम की तैयारी आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण रहेगा।**

प्रेक्षकों के सामान्य दायित्व

प्रेक्षक मतदान दल के कर्मियों के प्रशिक्षण, मतपेटिका, ईवीएम एवं मतदान सामग्रियों की व्यवस्था, मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्था, सशस्त्र बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोके जाने, अवैध शराब की बिक्री एवं उसका उपयोग रोके जाने एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा कर सकेंगे एवं उसपर पैनी नजर रखेंगे। प्रेक्षक मतदान दल के कर्मियों से प्रश्न पूछकर उन्हें मतदान संचालन संबंधी नियमों की जानकारी होने का पता भी कर सकेंगे।

प्रेक्षक आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता संबंधी निर्देशों की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि उसका अनुपालन प्रभावी एवं सार्थक ढंग से किये जाने पर नजर रख सकें।

प्रेक्षक, निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन व्यय के लेखा संधारण के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय एवं उसके लेखा के संधारण के संबंध में निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश से प्रत्याशियों/ उनके प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है।

प्रेक्षक प्रत्याशियों के मित्रों एवं संबंधियों तथा उनके समर्थकों द्वारा द्वारा किये जा रहे व्यय पर पैनी नजर रखेंगे एवं इसके उल्लंघन के मामलों को अभिलिखित कर आयोग की दृष्टि में लायेंगे।

मतदान दल के यादृच्छिकरण (Randomization) में प्रेक्षक का दयित्वः-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिलान्तर्गत सभी प्राधिकरण से मतदान दल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पात्र अधिकारियों एवं कर्मियों का पूर्ण डाटाबेस सुसंगत सूचनाओं के साथ संकलन किया जाएगा। डाटाबेस से अपेक्षित संख्या में मतदान कार्मिकों का प्रथम यादृच्छिकरण (Randomization) विशेष निर्दिष्ट कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग से रैण्डम नम्बर जेनरेशन तकनीक का उपयोग करके सृजित की जाएगी। मतदान कार्मिकों को प्रथम यादृच्छिकरण (Randomization) में प्रेक्षक की उपस्थिति अपेक्षित नहीं है।

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूरी होते ही मतदान कार्मिकों का द्वितीय यादृच्छिकरण (Randomization) किया जा सकता है। कार्मिकों का द्वितीय यादृच्छिकरण (Randomization) प्रेक्षक की उपस्थिति में ही किया जाना अनिवार्य है।

तृतीय चरण का यादृच्छिकरण का कार्य मतदान तिथि से 72 घंटा पूर्व किया जाएगा। तृतीय यादृच्छिकरण (Randomization) में प्रेक्षक की उपस्थिति और उनकी संतुष्टि अनिवार्य है।

मतगणना दल के यादृच्छिकरण (Randomization) में प्रेक्षक का दायित्व :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ही प्रत्येक चरण की मतगणना के लिए सम्बद्ध नगरनिकाय के मतगणना प्रेक्षक होंगे। मतगणना के समय सभी प्रेक्षक मतगणना तथा परिणामों के संकलन प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखेंगे तथा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रेक्षक मतगणना स्थल पर सभी पदों की मतगणना समाप्त होने एवं परिणाम घोषणा के उपरांत ही मतगणना स्थल से प्रस्थान करेंगे।

मतगणना कक्ष में मतगणना टेबल पर गणना कार्य में लगे हुए कार्मिकों की यादृच्छिकरण भी तीन चरणों में किया जाएगा। मतगणना कार्मिकों यथा- माईक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक तथा मतगणना सहायक का प्रथम यादृच्छिकरण (Randomization) मतदान पदाधिकारियों के प्रथम यादृच्छिकरण (Randomization) के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा साफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाएगा। प्रथम यादृच्छिकरण (Randomization) में प्रेक्षक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान अधिकारियों की द्वितीय यादृच्छिकरण (Randomization) के समय ही मतगणना कार्मिकों का भी द्वितीय यादृच्छिकरण प्रेक्षक की अनिवार्य उपस्थिति में किया जाएगा।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना दल का तृतीय यादृच्छिकरण मतगणना तिथि से एक दिन पूर्व किया जाएगा तथा इसमें प्रेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रेक्षकों का भ्रमण

प्रेक्षक अपने आवंटित निर्वाचन क्षेत्र में **कम से कम दो भ्रमण निश्चित रूप से करेंगे।**

प्रथम भ्रमण :

प्रथम भ्रमण का मुख्य उद्देश्य नामांकन पत्रों की सही संवीक्षा तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन आयोग के निदेशों के अनुरूप सुनिश्चित करना, जिले के निर्वाचन संचालन तंत्र, प्रत्याशियों तथा मतदाताओं से वाकिफ होना एवं आयोग द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुरुप मतदान तथा मतगणना हेतु की गई व्यवस्था की समीक्षा करना है। विदित हो कि वर्त्तमान नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर आयोग द्वारा पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन एम2 मॉडल के ईवीएम से कराने का निर्णय लिया गया है।

संवीक्षा : आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देश की प्रति सभी निर्वाची पदाधिकारियों के पास उपलब्ध रहने एवं तदनुसार निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा नामांकन की संवीक्षा किये जाने के बिन्दु पर भी नजर रखेंगे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रेक्षक स्वंय संवीक्षा के संबंध में निर्गत निदेशों से भलीभाँति परिचित हों। खासकर यदि कोई अस्वीकृत नाम निर्देशन पत्र हो तो उसपर विशेष ध्यान देंगे।

क्षेत्र भ्रमण एवं मतदान केन्द्रों का निरीक्षण : प्रेक्षक अपने प्रथम भ्रमण के दौरान यथासंभव अपने क्षेत्र का भ्रमण कर अधिकतम मतदान केन्द्रों का निरीक्षण रैन्डम आधार पर करेंगे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मतदाताओं से **विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग के मतदाताओं से वार्तालाप कर निर्वाचन तंत्र** एवं निर्वाचन प्रक्रिया में उनके विश्वास के स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आवश्यकतानुसार निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यथोचित कार्रवाई का सुझाव देंगे जिससे कि ऐसे मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया/तंत्र के प्रति विश्वास बना रहे। **यदि भ्रमण के दौरान यह पाया जाय कि किसी मतदान केन्द्र का गठन आयोग के दिशा निदेशों के विपरीत किया गया है तो इसे तुरंत आयोग की दृष्टि में लायेंगे।**

विधि व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक व्यवस्था : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), आरक्षी अधीक्षक, निर्वाची पदाधिकारी, आरक्षी उपाधीक्षक आदि के साथ वार्त्ता कर जिले की **विधि व्यवस्था की स्थिति** से अवगत होंगे तथा यह देखेंगे कि जिले में उपलब्ध **सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति** इस तरह से हो कि निर्वाचन का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से शान्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। **संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर की गई प्रतिनियुक्ति** की गहन समीक्षा करेंगे। यदि इस संबंध में कोई बृहद समस्या हो तो उसे आयोग की जानकारी में लायेंगे।

मतदान की तैयारी की समीक्षा : मतदान संचालन से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान हेतु की गई तैयारी की गहन समीक्षा करेंगे **और इस संबंध में अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी** आयोग को अपने प्रथम भ्रमण के समापन पर प्रेषित करेंगे।

मतदाता सूची : मतदाता सूची की प्रतियाँ प्रत्याशियों को दी गई हैं, इस बारे में वे आश्वस्त हो लेंगे।

मतदान दलों का रैन्डम आधार पर गठन : अपने प्रथम भ्रमण के अवसर पर निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान दलों का गठन आयोग के निर्देशानुसार रैन्डम आधार पर किये जाने के बिन्दु की

समीक्षा करेंगे। प्रेक्षक अपने प्रथम भ्रमण के दौरान **ईवीएम की उपलब्धता एवं तैयारी** आदि की समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रेक्षक द्वारा **प्रथम भ्रमण** से संबंधित अपना **विस्तृत प्रतिवेदन भ्रमण समाप्ति के तुंरत बाद** आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

द्वितीय भ्रमण : प्रेक्षकों का द्वितीय भ्रमण **चुनाव प्रचार एवं मतगणना की समाप्ति तक** के लिए होगा।

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन : द्वितीय भ्रमण के दौरान प्रेक्षक अपना ध्यान प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार एवं **प्रत्याशियों /उनके प्रतिनिधियों/प्रशासनिक तंत्र द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन** किये जाने पर केन्द्रित करेंगे तथा यह देखेंगे कि लाउडस्पीकर के उपयोग, सरकारी सम्पत्ति का विरूपण, आम सभा, जुलूस, वाहनों के उपयोग आदि के संबंध में आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों का अनुपालन सभी संबंधित द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं।

प्रेक्षक प्रत्याशियों द्वारा किये जा **रहे व्यय** पर भी नजर रखेंगे।

निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना : आयोग की मंशा है कि चुनाव प्रचार अभियान शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्याशियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हो, तथा सभी प्रत्याशी तथा उनके समर्थक चुनाव को तनाव एवं हिंसामुक्त रखने हेतु जिला प्रशासन को सहयोग दें। इसे सुनिश्चित करने में जिला असैनिक एवं आरक्षी प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रेक्षक जिला प्रशासन से इस परिप्रेक्ष्य में समन्वय रखेंगे तथा इसका अनुश्रवण करेंगे ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किसी प्रत्याशी द्वारा अनुचित लाभ नहीं लिया जा सके। उन्हें इस दिशा में भी तत्पर एवं सचेष्ट रहना होगा कि आम जनता और महिलाओं के विश्वास के स्तर में कोई कमी आने या समझौता (compromise) करने की नौबत नहीं आये।

वाहनों का उपयोग : आयोग द्वारा चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग एवं वाहनों की संख्या के संबंध में निर्गत दिशा निर्देश का पालन सख्ती से जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है अथवा नहीं, प्रेक्षक इसपर नजर रखेगें।

मतदान दल का आवासन, सामग्री वितरण एवं उनके सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है या नहीं।

बज्रगृह एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण : **बज्रगृह एवं मतगणना हॉल का भ्रमण कर** आश्वस्त हो लेंगे कि पोल्ड ईवीएम को प्राप्त करने तथा इन्हे सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था की गई है।

मतदान की तिथि हेतु की गई तैयारी : मतदान हेतु बड़ी संख्या में महिलाओं के उपस्थित होने से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव होने का आभास मिलता है। प्रेक्षक आश्वस्त हो लेंगे कि मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर कब्जा करने, भय का वातावरण उत्पन्न करने, मतदाताओं को भयभीत करने तथा मतदान को दूषित करने संबंधी प्रयासों को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यथोचित निरोधात्मक कार्रवाई की गई है तथा उस दिशा में प्रभावकारी कदम जिला प्रशासन द्वारा उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में **कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन** भी सुनिश्चित करना है।

प्रेक्षक मतदान की तिथि को अपना भ्रमण कार्यक्रम गुप्त रखेगें तथा इसकी पूर्ण जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को भी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

मतदान की तिथि को मतदान अवधि में यथा संभव अधिकतम मतदान केन्द्रों का भ्रमण सुनिश्चित करेंगे क्योंकि मतदान की तिथि को प्रेक्षक की उपस्थिति ही मतदान को दूषित करने या मतदान हेतु गलत तरीके अपनाने

पर रोक का काम करेगी। **पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदाताओं से बातचीत कर यह पता लगायेंगे कि मतदान सही ढंग से चल रहा है अथवा नहीं। मतदान केन्द्र पर कब्जा किए जाने अथवा अन्य गंभीर अनियमितता प्रकाश में आने पर प्रेक्षक अविलंब इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) तथा राज्य निर्वाचन आयोग को देंगे।**

प्रेक्षक मतदान केन्द्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाने अथवा गड़बड़ी होने की आशंका अनुभव करने पर तत्संबंधी सूचना मतदान केन्द्र पर कर्तव्य पर उपस्थित पदाधिकारियों सहित आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी को देंगे।

प्रेक्षक मतदान केन्द्र के अन्दर जा सकेंगे तथा **मतदान दल द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा** कर सकेंगे।

मतदान उपरांत **पोल्ड ईवीएम को सशस्त्र बल की अभिरक्षा में ब्रजगृह** ले जाने की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

मतदान के समापन के उपरांत **मतदान का प्रतिशत एवं मतदान के संबंध में आयोग द्वारा विहित प्रपत्र** में जिला पदाधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति प्रेक्षक प्राप्त करेंगे तथा उनके द्वारा आयोग को समर्पित किये जाने वाले प्रतिवेदन के साथ यह प्रतिवेदन संलग्न किया जायेगा।

पुनर्मतदान एवं स्थगित मतदान : मतदान के उपरांत प्रेक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन आयोग द्वारा पुनर्मतदान के लिए जाने वाले निर्णय के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा, अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि प्रेक्षक द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रों पर घटित घटनाओं, यदि कोई हों, का विस्तृत विवरण आयोग को भेजा जायेगा।

मतगणना का प्रेक्षण कार्य :

प्रेक्षक द्वारा मतगणना प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतों की गणना में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने पाए। **मतों की गणना के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पार्षद पद हेतु हस्ताक्षरित प्रपत्र-24 (ख)(1) तथा उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद हेतु हस्ताक्षरित प्रपत्र - 24 (ग) में तैयार किये गये निर्वाचन परिणाम की विवरणी पर प्रेक्षक द्वारा गणना परिणाम से पूरी तरह संतुष्ट होने पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।** निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक के मध्य निर्वाचन परिणाम के बारे में मतभेद होने पर उसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के संज्ञान में लाते हुए उस पर आयोग का आदेश प्राप्त किया जाएगा, जो अंतिम होगा।

प्रेक्षकों के प्रतिवेदन : प्रेक्षक द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन में निम्न बिन्दुओं को सामान्यतः समावेशित किया जायेगा –

(1) निर्वाचन का संचालन निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होने के संबंध में।

(2) उम्मीदवार/ राजनीतिक दलों से प्राप्त परिवाद पत्रों पर की गई कार्रवाई

(3) मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदान दलों का गठन, सशत्र बलों की प्रतिनियुक्ति, विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं मतदान हिंसा को रोकने तथा मतदाताओं को भयभीत करने से रोकने हेतु की गई निरोधात्मक कार्रवाइयां।

(4) आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा उठाये गए कदम एवं

इसके उल्लंघन के मामलों में की गई कार्रवाई।

(5) प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिसीमा से अधिक व्यय करने के बिन्दु पर नजर रखने हेतु निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा किये गये उपाय।

''ऑब्जर्वर'' एप के माध्यम से प्रतिवेदन का प्रेषण

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षकों की सुविधा के लिए ``ऑब्जर्वर'' एप विकसित किया गया है जिसके माध्यम से प्रेक्षक अपने आगमन/प्रस्थान तथा भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित कर सकते है। उल्लेखनीय है कि प्रेक्षकों द्वारा ऑफलाईन माध्यम से आगमन/प्रस्थान तथा भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करना अनिवार्य है। एप के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित करने की सुविधा अतिरिक्त होगी।

प्रकीर्ण

(1) किसी भी परिस्थिति में प्रेक्षक प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं करेंगें।

(2) प्रत्याशियों की बैठक अपने स्तर से आहूत नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई बैठक निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बुलाई गयी है तो प्रेक्षक उसमें भाग ले सकेंगे।

(3) प्रेक्षक आयोग को प्रेषित प्रत्येक प्रतिवेदन पर यथास्थिति, स्पष्ट रूप से प्रथम प्रतिवेदन, द्वितीय प्रतिवेदन, तृतीय प्रतिवेदन आदि क्रमानुसार अंकित करेंगे।

(4) प्रेक्षकों को उनके द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के कारण किसी प्रकार प्रताड़ित (victimised) नहीं किया जाये, इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग सभी व्यवहारिक कदम उठायेगा।

प्रेक्षक द्वारा समर्पित किये जाने वाले प्रतिवेदन के बिन्दु

प्रेक्षक के आगमन तथा प्रस्थान से संबंधित प्रतिवेदन

प्रेक्षक अपने नियुक्ति से संबंधित नगरपालिका में पहुंचने के उपरांत अपने आगमन से संबंधित प्रतिवेदन तथा मतगणना समाप्ति के उपरांत नगरपालिका से प्रस्थान करने के उपरांत प्रस्थान से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करेंगे।

प्रथम भ्रमण

प्रेक्षक नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि के एक दिन पूर्व आवंटित क्षेत्र में योगदान करेंगे तथा संवीक्षा समाप्ति तक रहेंगे। संवीक्षा की समाप्ति के 24 घंटे के अन्दर प्रेक्षक संवीक्षा से संबंधित विन्दुओं पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

2. प्रथम भ्रमण में प्रेक्षक निम्न बिन्दुओं पर आयोग को प्रतिवेदन देंगे :-

(1) जिला प्रशासन एवं निर्वाचन तंत्र विशेष कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के बीच टीम भावना के संबंध में।

(2) निरीक्षण किये गये मतदान केन्द्रों की सूची एवं उससे संबंधित कोई विशिष्ट समस्या।

(3) आवंटित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति का स्वआकलन।

(4) निरोधात्मक गिरफ्तारी एवं अच्छे व्यवहार के लिए बन्ध-पत्र एवं प्रतिभूति के संबंध में।

(5) आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी प्रत्याशियों को दी गई है अथवा नहीं।

(6) लोक अथवा निजी सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

(7) परिसदन/ निरीक्षण भवन / गेस्टहाउस के उपयोग के संबंध में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

(8) मंत्रियों द्वारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय पदाधिकारियों से भेंट के संबंध में।

(9) मतदान केन्द्रों का भ्रमण एवं आवश्यक मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता।

(10) मतदान दल के प्रशिक्षण के संबंध में।

(11) मतदान सामग्रियों की उपलब्धता।

(12) मतदान दल का रेन्डम आधार पर गठन।

(13) प्रत्याशियों को मतदाता सूची दिये जाने के संबंध में।

(14) ईवीएम की उपलब्धता एवं तैयारी के संबंध में।

(15) मतपत्र के मुद्रण की व्यवस्था के संबंध में।

(16) कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में।

द्वितीय भ्रमण

द्वितीय भ्रमण चुनाव प्रचार एवं मतगणना समाप्ति तक के लिये होगा।

प्रेक्षक द्वारा द्वितीय भ्रमण से संबंधित निम्नांकित विन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन मतगणना उपरांत आयोग को समर्पित किए जायेंगे-

(1) चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग, वाहनों का काफिला, मंत्रियों एवं अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण, परिसदन/ निरीक्षण भवन के उपयोग, आम सभा, संपत्ति विरूपण के मामले में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन।

(2) आयोग के निदेश के आलोक में मतदान हेतु ईवीएम की तैयारी।

(3) ब्रजगृह की सुरक्षा व्यवस्था।

(4) पोल्ड ईवीएम (सुरक्षित सहित) को प्राप्त करने की व्यवस्था।

(5) पोल्ड ईवीएम के परिवहन के दौरान प्रत्याशियों/ उनके प्रतिनिधियों को पीछे आने की अनुमति।

(6) पीठासीन पदाधिकारियों की डायरी पढने हेतु की गई व्यवस्था।

(7) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक द्वारा की गई व्यवस्था।

(8) संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान में जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित सावधानी एवं सतकर्ता बरतने तथा इन मतदान केन्द्रों पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई व्यवस्था।

(9) मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार थमने से संबंधित विवरण।

(10) मतदान दल एवं मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण

(11) मतदान की तिथि को निरीक्षण किये गये मतदान केन्द्रों की सूची एवं ततसंबंधी प्रतिवेदन।

(12) मतगणना प्रक्रिया की पूरी निगरानी।

(13) मतों की गणना में कोई अनियमितता न हो।

(14) पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत निर्वाचन परिणाम की विवरणी प्रपत्र-24 ख तथा प्रपत्र- 24 ग पर हस्ताक्षर करना।

प्रेक्षकों के लिए ''क्या करें''(Do's) और ''क्या नहीं करें''(Don'ts)

''क्या करें''(Do's)

1. आयोग द्वारा समय-समय पर नियत ब्रीफिंग बैठकों में अनिवार्य रुप से भाग लें।
2. सुनिश्चित करें कि सभी कागजात (documents) सही हालत में आपको प्राप्त कराये गये हैं।
4. अपने कार्यालय एवं आवास का सही पता दूरभाष संख्या सहित सचिव को उपलब्ध करा दें। इनमें समय-समय पर हुये परिवर्त्तन, यदि कोई हो, की भी सूचना आयोग को दें।
5. अपने भ्रमण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर इसे आयोग तथा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।
6. कृपया आयोग द्वारा नियत भ्रमणों की संख्या/ अवधि को ध्यानपूर्वक नोट कर लें।
7. कृपया सुनिश्चित करें कि आपके भ्रमण कार्यक्रम का प्रचार कर दिया गया है।
8. उन क्षेत्रों/ मतदान केन्द्रों को चिह्नित कर लें जिसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
9. कृपया सुनिश्चित करायें कि वांछित मात्रा में निर्वाचन सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।
10. मतदाता सूची की पूर्णता को भी सुनिश्चित करें।
11. विधि एवं व्यवस्था की स्थिति का स्वतंत्र रूप से आकलन कर लें।
12. कम से कम पाँच प्रतिशत मतदान केन्द्रों की रैन्डम जाँच कर लें।
13. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों का अनुश्रवण करें।
14. कुछ प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं भी सम्मिलित हों।
15. अपने मुख्यालय लौटने के 24 घंटे के अन्दर अपने भ्रमण से संबंधित रिपोर्ट आयोग को अवश्य दें।
16. **जहाँ कहीं किसी मामले पर त्वरित कार्रवाई अपेक्षित हो, उसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी/आयोग की दृष्टि में तुरंत लायें।**
17. अपना प्रतिवेदन बंद लिफाफे में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजें।
18. प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय का स्वयं आकलन करें।
19. स्थानीय लोगों से बात करें तथा पोस्टर, इश्तेहार आदि की जाँच कर किसी स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचे।
20. मुख्यालय छोड़ने से पहले आयोग की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।

''क्या नहीं करें''(Don'ts)

1. ब्रीफिंग बैठकों से विमुक्ति हेतु कोई अनुरोध न करें।
2. अपने प्रतिवेदन की अन्तर्वस्तु के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित किसी के साथ चर्चा (share)नहीं करें।

3. प्रेस से वार्ता नहीं करें।

15

प्रेक्षक का प्रतिवेदन (प्रथम भ्रमण)

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –

स्थान जहाँ के लिए प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किये गये हैं –

क्र0	विवरण	प्रतिवेदन
1	जिला प्रशासन एवं निर्वाचन तंत्र विशेष कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के बीच टीम भावना के संबंध में।	
2	निरीक्षण किये गये मतदान केन्द्रों की सूची एवं उससे संबंधित कोई विशिष्ट समस्या।	
3	आवंटित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति का स्वआकलन।	
4	निरोधात्मक गिरफ्तारी एवं अच्छे व्यवहार के लिए बन्ध-पत्र एवं प्रतिभूति के संबंध में।	
5	आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी प्रत्याशियों को दी गई है अथवा नहीं।	
6	लोक अथवा निजी सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था कितनी प्रभावी है।	
7	परिसदन/ निरीक्षण भवन / गेस्टहाउस के उपयोग के संबंध में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।	
8	मंत्रियों द्वारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय पदाधिकारियों से भेंट के संबंध में।	
9	मतदान केन्द्रों का भ्रमण एवं आवश्यक मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता।	
10	मतदान दल के प्रशिक्षण के संबंध में।	
11	मतदान सामग्रियों की उपलब्धता।	
12	मतदान दल का रेन्डम आधार पर गठन।	
13	प्रत्याशियों को मतदाता सूची दिये जाने के संबंध में।	
14	ईवीएम की उपलब्धता एवं तैयारी के संबंध में।	
15	मतपत्र के मुद्रण की व्यवस्था के संबंध में।	
16	कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के संबंध में।	
17	अभियुक्ति	

स्थान –

दिनांक –

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

प्रेक्षक का प्रतिवेदन (द्वितीय भ्रमण)

पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –

स्थान जहाँ के लिए प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किये गये हैं –

क्र0	विवरण	प्रतिवेदन
1	चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग, वाहनों का काफिला, मंत्रियों एवं अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण, परिसदन/निरीक्षण भवन के उपयोग, आम सभा, संपत्ति विरूपण के मामले में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन।	
2	आयोग के निदेश के आलोक में मतदान हेतु ईवीएम की तैयारी।	
3	ब्रजगृह की सुरक्षा व्यवस्था।	
4	पोल्ड ईवीएम (सुरक्षित सहित) प्राप्त करने की व्यवस्था।	
5	पोल्ड ईवीएम के परिवहन के दौरान प्रत्याशियों/उनके प्रतिनिधियों को पीछे आने कीअनुमति।	
6	पीठासीन पदाधिकारियों की डायरी पढने हेतु की गई व्यवस्था।	
7	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक द्वारा की गई व्यवस्था।	
8	संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान में जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित सावधानी एवं सतकर्ता बरतने तथा इन मतदान केन्द्रों पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई व्यवस्था।	
9	मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार थमने की स्थिति	
10	मतदान दल एवं मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण	
11	मतदान की तिथि को निरीक्षण किये गये मतदान केन्द्रों की सूची एवं ततसंबंधी प्रतिवेदन।	
12	निर्वाचन का संचालन निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होने के संबंध में।	
13	उम्मीदवार से प्राप्त परिवाद पत्रों पर की गई कार्रवाई	
14	निर्वाचन व्यय की अधिसीमा से अधिक व्यय करने के बिन्दु पर नजर रखने हेतु निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा किये गये उपाय।	
15	मतगणना प्रक्रिया की पूरी निगरानी।	
16	मतों की गणना में कोई अनियमितता न हो।	
17	अभियुक्ति –	

स्थान –

दिनांक –

प्रेक्षक का हस्तक्षार

(5)

प्रेक्षक के आगमन/प्रस्थान संबंधी प्रतिवेदन
(आगमन/प्रस्थान के तत्काल पश्चात् भेजा जाए)

i.	प्रतिवेदन की तिथि	
ii.	प्रेक्षक का नाम एवं कोड	
iii.	ई-मेल आई.डी.	
iv.	जिला एवं नगर निकाय का नाम	
v.	मोबाईल संख्या	

1	आगमन/ प्रस्थान की तिथि (जो लागू न हो, उसे काट दें)	
2.*	क्या प्रेक्षक के द्वारा कर्त्तव्य अवधि में कोई अवकाश लिया गया	
3.*	यदि हाँ तो परिस्थिति का उल्लेख करें	
4.	क्या कर्त्तव्य पर उपस्थिति में किसी प्रकार की देरी/ विलंब हुआ	
5.	यदि हाँ तो कारण एवं कितना विलंब हुआ	

स्थान -

तिथि -

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

* क्रमांक 2 एवं 3 से संबंधित विवरण आगमन प्रतिवेदन में अंकित नहीं करना है।